# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक/5676 /NR-4/11 भोपाल, दिनांक 03/05/11

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिलाः–समस्त (म.प्र.)

विषयः– महालेखाकार के लेखा परीक्षण के संबंध मे।

––0––

विषयान्तर्गत महालेखाकार के दल द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के ऑडिट कर सकने का उल्लेख मध्यप्रदेश शासन के असाधारण राजपत्र 02.02.2006 में प्रकाशित है।

इस परिप्रेक्ष्य में संबंधित दल विभिन्न जिलों में संचालित स्कीम का ऑडिट कर सकता है। ऑडिट कार्य में कोई अवरोध उत्पन्न न हो। अतः निर्देर्शित किया जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं एवं विभिन्न क्रियान्वयन एजेन्सियों का स्कीम से संबंधित समस्त रिकार्ड महालेखाकार दल द्वारा चाहे जाने पर लेखा परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाये।

रिकार्ड न उपलब्ध न कराने पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।

संलग्नः– यथोपरि।

31/5/11

(शिव शेखर शुक्ला)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल

पृ.क्रमांक/5677/NR-4/11 भोपाल, दिनांक 03/05/11

प्रतिलिपि– ग्वलियर

1. उप महालेखाकार स्थानीय निकाय कार्यालय महालेखाकार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त 31/5/11
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल

| | |
|---|---|
| मुख्यालय (मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्) | मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् जिलों / विभागों से प्राप्त जानकारी को संकलित कर राष्ट्रीय रोजगार ग्यारंटी काउंसिल द्वारा निर्धारित तिथि एवं अंतराल पर प्रेषित किया जायेगा. |

## अध्याय-6—गुणवत्ता, निगरानी और मूल्यांकन

6.1 **मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् ( Madhya Pradesh State Employment Gaurantee Council ) :**

योजना के सफल क्रियान्वयन एवं सतत् निरीक्षण, पर्यवेक्षण का कार्य मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा किया जोयगा.

6.2 **गुणवत्ता नियंत्रण :**

योजनान्तर्गत क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों में गुणवत्ता आंकलन एवं संधारण हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर क्वालिटी मानिटर्स का पैनल तैयार किया जावेगा. क्वालिटी मानिटर्स यह सुनिश्चित करेंगे कि किये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हो. पंचायती राज संस्थाओं एवं अन्य क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण कार्य के अतिरिक्त क्वालिटी मानिटर्स भी गुणवत्ता नियंत्रण के दायित्व का सम्पादन करेंगे.

राज्य एवं जिला स्तरीय क्वालिटी मानिटर्स का पैनल क्रमशः राज्य एवं जिला स्तर पर तैयार किया जावेगा. जिला स्तरीय क्वालिटी मानिटर्स जिला कार्यक्रम समन्वयक को रिपोर्ट देंगे तथा राज्य स्तरीय क्वालिटी मानिटर्स राज्य शासन को रिपोर्ट देंगे.

क्वालिटी मानिटर्स के चयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे.

6.3 **पंचायती राज संस्थाएं :**

6.3.1 योजना की निगरानी हेतु जिला, जनपद एवं ग्राम स्तर पंचायती राज संस्थाएं प्रमुख भूमिकाओं का निर्वहन करेगी.

6.3.2 ग्राम सभा का यह दायित्व होगा कि वह ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों का सतत् निरीक्षण करे तथा कराये गये कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण भी करें. ग्राम सभा की बैठकों में आवश्यक दस्तावेज यथा मस्टर रोल, बिल, व्हाउचर, माप पुस्तिका इत्यादि को उपलब्ध कराने का दायित्व ग्राम पंचायत तथा संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी का होगा.

6.3.3 जनपद पंचायत का यह दायित्व होगा कि वह जनपद स्तरीय योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए अंतिम स्वीकृति हेतु जिला पंचायत को प्रेषित करेंगी. ग्राम पंचायत एवं जनपद स्तरीय कार्यों के सतत् निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा राज्य परिषद् द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों को संपादित करेंगे.

6.3.4 जिला पंचायत का यह दायित्व होगा कि जिले में स्थित समस्त जनपद स्तरीय विकास योजनाओं को अंतिम रूप देते हुए स्वीकृति प्रदान करेंगे, जिले में जारी कार्यों की सतत् निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा राज्य परिषद् द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों को संपादित करेंगे.

6.3.5 अन्य क्रियान्वयन एजेन्सी—विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे रोजगारमूलक कार्यों का विभागीय नियमावली के अन्तर्गत नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य संबंधित विभाग द्वारा ही किया जावेगा. यह कार्य रोजगार गारंटी योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगे.

6.4 **जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा पर्यवेक्षण :**

जिले में योजना के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम समन्वयक की होगी. योजना के क्रियान्वयन की पाक्षिक समीक्षा अपने स्तर पर करेंगे तथा समुचित निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों एवं क्रियान्वयन एजेन्सियों को देंगे. यदि कोई प्रकरण बेरोजगारी भत्ते के भुगतान का प्रकाश में आता है तो कारणों का विश्लेषण कर सम्यक् कार्यवाही करेंगे.

6.5 **पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व :**

6.5.1 **आडिट :**

6.5.1.1 योजनान्तर्गत समस्त कार्यों के भौतिक एवं वित्तीय अंकेक्षण की व्यवस्था अनिवार्य है. यह कार्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक जिले द्वारा किया जाना चाहिए.

6.5.1.2 (1) राज्य एवं जिला स्तर पर आडिट का कार्य चार्टर्ड एकाउंटेन्ट द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जावेगा. राज्य स्तर पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति सशक्त समिति द्वारा तथा जिला स्तर पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा की जावेगी.